



सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र

(अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)

रजिस्ट्रेशन संख्या : **UK0610382023011840**


एतद्वारा प्रामाणित किया जाता है कि Shivnanda Educational Society (शिवनन्दा एजुकेशनल सोसाइटी), Vill and Post Shivraj Pur Kotdwara, Pauri Garhwal Uttarakhand 246149 को आज उत्तराखण्ड में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई० के अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

यह प्रमाण पत्र 07-AUG-2028 तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक 08-Aug-2023 को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

रजिस्ट्रेशन शुल्क(रु.)- 5550/




उप निबन्धक
फॉर्स सोसायटी एवं चिट्स
पौड़ी गढ़वाल
सोसाइटी-रजिस्ट्रार
उत्तराखण्ड



**INTEGRATED FINANCE MANAGEMENT SYSTEM
GOVERNMENT OF UTTARAKHAND**

नियमावली

- 1- आवेदन पत्र संख्या: TRSOC061030623213459
 2- संस्था का नाम (हिंदी में): शिवनन्दा एजुकेशनल सोसाइटी
 3- संस्था का नाम (अंग्रेजी में): Shivnanda Educational Society
 4- संस्था का पता: Vill and Post Shivraj Pur Kotdwara, Pauri Garhwal
 5- कार्यक्षेत्र: State
 6- सदस्यता तथा सदस्य की समाप्ति

SNo	Membership	Fee(Rs)	Minimum Qualification	other Criteria	Other Termination Condition
1	आजीवन	10000	इंटरमीडिएट	संस्था को एकमुश्त रु० 10000 दान करने वाला प्रबन्धकारिणी समिति की स्वीकृति से	Absent for long time, Organization Against Activities, Bankrupt, Criminal Record, Death, Irregular, Mental Disorder, Fee Not Paid, Medically Unfit, Resignation
2	सामान्य	500	इंटरमीडिएट	संस्था को रु० 500 वार्षिक सदस्यता शुल्क देने पर तथा प्रबन्धकारिणी समिति की स्वीकृति से	Absent for long time, Organization Against Activities, Bankrupt, Criminal Record, Death, Irregular, Mental Disorder, Fee Not Paid, Medically Unfit, Resignation

7- सदस्यता तथा सदस्य की समाप्ति - निम्नलिखित दशाओं में सदस्यता समाप्त की जा सकती है

SNo	Common Termination Condition
1	लंबे समय के लिए अनुपस्थित
2	संस्था विरोधी कार्य करने पर
3	दिवालिया होने पर
4	न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर
5	मृत्यु हो जाने पर
6	अनियमित
7	पागलपन हो जाने पर
8	सदस्यता शुल्क न देने पर
9	मेडिकली अनफिट
10	त्याग पत्र देने पर

दिनांक-07-Jul-2023

सत्य प्रतिलिपि

उप निदेशक
फसस सोसायटी एवं चिट्स
पीडी गढ़वाल

8- संस्था के अंग:- (क) साधारण सभा (ख) प्रबन्धकारिणी समिति

(क) साधारण सभा:-

- (अ) गठन - सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।
 (ब) बैठकें - सामान्य बैठक वर्ष में 1 बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।
 (स) सूचना अवधि - सामान्य बैठक हेतु 15 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा तथा विशेष बैठक हेतु 7 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।
 (द) गणपूर्ति - बैठक हेतु 67% सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी।
 (य) विशेष/वार्षिक अधिवेशन की तिथि - विशेष/वार्षिक अधिवेशन की तिथि साधारण सभा की बैठक में 67% बहुमत से तय की जायेगी।
 (र) साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा। संस्था की नीतियों का निर्धारण करना तथा वार्षिक आय-व्यय का अनुमोदन करना।

(ख) प्रबन्धकारिणी समिति:-

- (अ) गठन - साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्य 3, प्रबंधक, होंगे।
 (ब) बैठकें - सामान्य बैठक वर्ष में 4 बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।
 (स) सूचना अवधि - सामान्य बैठक हेतु 15 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा तथा विशेष बैठक हेतु 7 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।
 (द) गणपूर्ति - बैठक की गणपूर्ति हेतु 67% पदाधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक होगी।
 (य) रिक्त स्थानों की पूर्ति - 67% पदाधिकारियों के बहुमत से शेष अवधि के लिये साधारण सभा के सदस्यों में से रिक्त हुये स्थानों की पूर्ति कर सकेगी।
 (र) कार्यकाल:- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा।

(सचिव तथा कम से कम तीन अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर)

- ① सुनील (कोषाध्यक्ष) ② गीता देवी (सदस्य) ③ आशीष
 ④ कमलेश शर्मा (उपाध्यक्ष) ⑤ अनील शर्मा (अध्यक्ष)
 ⑥ दीपक शर्मा (सदस्य)
 ⑦ Anam Singh (सदस्य)



**INTEGRATED FINANCE MANAGEMENT SYSTEM
GOVERNMENT OF UTTARAKHAND**

9-प्रबन्धकारिणी समिति तथा प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य:-

क.स. अधिकार व कर्तव्य

- 1 अध्यक्ष
1 प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना, संस्था की चल/अचल सम्पत्ति की देखभाल करना, संस्था के हितार्थ कार्य जो आम सभा से स्वीकृत हो करवाना आदि
- 2 उपाध्यक्ष
1 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्य देखना
- 3 कोषाध्यक्ष
1 संस्था के कोष के रख रखाव तथा खाते का संचालन करना
- 4 सदस्य
1 कार्यकारिणी सदस्य, प्रबंधसमिति को कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे
- 5 प्रबंधक
1 कार्यकारिणी समिति की बैठकों की कार्यवाही लिखना, आगामी बैठक में पिछली कार्यवाही की पुष्टि करना, वार्षिक बजट बनाना, संस्था के आय-व्यय सम्बन्धी समस्त प्रपत्र तैयार करवाना, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से ऑडिट करवाना, ऑडिट रिपोर्ट प्रबंधकारिणी के समक्ष पेश करना, संस्था की ओर से पत्राचार करना, कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत नियमों के अधीन कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत नियमों के अधीन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना तथा संस्था के हितार्थ ऐसे समस्त कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों के विरुद्ध न हो
- 6 प्रबन्धकारिणी समिति
1 संस्था के सभी कार्यक्रमों का क्रिया-व्ययन करना तथा वित्तीय व्यवस्था को देखना. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वार्षिक बजट बनाना तथा साधारण सभा में बजट पारित करवाना, योजनाएँ तैयार करना, कार्यकर्ताओं की नियुक्ति व मुक्ति, दान, अनुदान स्वीकार करना
- 10-संस्था के नियम/विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया:-
संस्था के विधान में परिवर्तन, करने हेतु प्रबन्धकारिणी समिति में विधान परिवर्तन का प्रस्ताव पारित करके तथा उसे साधारण सभा द्वारा अनुमोदित करवाकर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 4 ए के अनुसार संस्था के नियमों में परिवर्तन की कार्यवाही के प्रस्ताव की प्रति के साथ 30 दिन के अन्दर ही उन्हें पंजीकरण करने के अनुरोध के साथ निबन्धक कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। नियमों में परिवर्तनों के पंजीकरण किये जाने की सूचना जारी किये जाने पर ही परिवर्तन गान्य होंगे।
- 11-संस्था का कोष (लेखा व्यवस्था):-
संस्था का कोष किसी बैंक अथवा डाकघर में रखा जायेगा। खाते से धन का आहरण अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, प्रबंधक, में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जा सकेगा।
- 12-प्रबन्धकारिणी समिति की वार्षिक सूची तथा संतुलन पत्र:-
प्रत्येक वर्ष प्रबन्धकारिणी समिति की सूची तथा आय-व्यय लेखे व संतुलन पत्र नियमानुसार उप निबन्धक कार्यालय में जमा किया जायेगा।
- 13-संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण/ ऑडिट:-
आय-व्यय का लेखा परीक्षण नियमानुसार किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करवाया जायेगा।
- 14-संस्था द्वारा अथवा संस्था के विरुद्ध सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा- 6 के अनुसार अदातली कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के अध्यक्ष का होगा।
- 15-संस्था के अभिलेख:-
क- सदस्यता रजिस्टर
ख- कार्यवाही रजिस्टर
ग- स्टॉक रजिस्टर
घ- केश बुक
ङ- रसीद बुक
च- ऐजेण्डा रजिस्टर
- 16- संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 13 व 14 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक-07-Jul-2023

- ① सुनीता (कोषाध्यक्ष)
- ② गीता देवी (सदस्य)
- ③ कान्हा शिवर (उपाध्यक्ष)
- ④ अनीता शिवर (अध्यक्ष)
- ⑤ दीपन शर्मा (अध्यक्ष)
- ⑥ Arjun Singh (अध्यक्ष)
- ⑦ Anand

(सचिव तथा कम से कम तीन अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर)

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म सोसायटी एव बिदेश
पीडी गडवाल



INTEGRATED FINANCE MANAGEMENT SYSTEM
GOVERNMENT OF UTTARAKHAND

स्मृति-पत्र

- i- आवेदन पत्र संख्या: TRSOC061030623213459
ii- संस्था का नाम (हिंदी में): शिवनन्दा एजुकेशनल सोसाइटी
iii- संस्था का नाम (अंग्रेजी में): Shivnanda Educational Society
iv- संस्था का पता: Vill and Post
Shivraj Pur
Kotdwara, Pauri
Garhwal
v- प्रस्ताव की तिथि: 24-JUN-2023
vi- प्रकार: Non Gov
vii- संस्था का प्रकार: Educational
viii- कार्यक्षेत्र: State
ix- संस्था का उद्देश्य: संस्था के सभी उद्देश्य वैरिटेबिल तथा अव्यवसायिक है। संस्था कोई राजनैतिक ट्रेड पूनियमन तथा सच की गतिविधिया संचालित नहीं करेगी।

सत्य प्रतिलिपि

उप निष्कर्ष
पूर्व मोसाक्ट्री एव डिप्ल
श्री जी गदवाल

क्र.स. स्मृति-पत्र

- 1 पूर्ण (Charitable) के लिये कार्य करेगी
- 1 शिक्षा एवं ज्ञान के विकास, प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न प्रकार की प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक, रोजगार-गोमुख शिक्षण संस्थाएँ, स्कूल, कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन.
 - 2 पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की स्थापना और उपयोगी ज्ञान का प्रसार प्रचार करना
 - 3 युवाओं तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु बौद्धिक, सांस्कृतिक, क्रीडा कार्यक्रमों, टूर्नामेंटों तथा शिविरों का आयोजन
 - 4 निर्बल, निर्धन, असाहाय वर्ग के बच्चों को रियायती अथवा निशुल्क शिक्षा प्रदान करना
 - 5 छात्र छात्राओं के चोमुखी विकास हेतु क्रीडा प्रशिक्षण केन्द्र, कला केन्द्र, अनुसन्धान केन्द्र, प्रयोग शाला, शोध संस्थान आदि की व्यवस्था एवं निर्माण करना
 - 6 भारत तथा उत्तराखण्ड की प्राचीन एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन तथा आने वाली पीढ़ी को इससे अवगत कराना
 - 7 निर्धन कन्याओं के विवाह हेतु सहायता करना
 - 8 जन साधारण के हितार्थ वैरिटेबिल डिस्पेंसरी का संचालन करना तथा प्रसार करना कि जनसामान्य को स्तारस्था सुविधा न्यूनतम खर्च पर या निशुल्क प्राप्त हो
 - 9 उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक लोक गाथा एवं गीत नाटिकाओं हेतु प्रचार प्रसार, कार्यशालाओं का समय समय पर आयोजन एवं मंचन द्वारा लोक संस्कृति का व्यापक प्रचार करना
 - 10 प्राकृतिक आपदा में पीड़ित लोगों की हर संभव सहायता करना
 - 11 हस्तशिल्प, कृषि, बागवानी, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, उद्यानीकरण के समग्र विकास, उत्थान एवं संवर्धन हेतु कार्यक्रम चलाना
 - 12 समाज के निर्बल, निराश्रित, पिछड़ों, निर्धन, वृद्धों, महिलाओं के समय उत्थान हेतु कार्यक्रम चलाना तथा इनके जीवन स्तर में सुधार हेतु विभिन्न रोजगोमुख तथा अन्य कार्यक्रमों को चलाना
 - 13 गोवंश, अन्य जीव जंतु एवं वनों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य करना
 - 14 पर्यावरण एवं पशुओं की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु कार्यक्रमों का संचालन
 - 15 जल तथा जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु कार्यक्रम चलाना
 - 16 निर्धन युवक-युवती विवाह, सामूहिक विवाह, अन्तर्जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह, को प्रोत्साहन देना तथा इसमें वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करना।
 - 17 पर्यटन क्षेत्रों से पलायन रोकने हेतु विभिन्न रोजगारोमुख योजनाएँ जैसे धूप अगरबत्ती जैसे कुटीर उद्योग चलाना
 - 18 पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न योजनाएँ चलाना तथा पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने हेतु प्रयास करना।
 - 19 अन्य जन हित के कार्य करना
 - 20 अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्था किसी भी व्यक्ति, राजकीय अथवा गैर राजकीय संस्था, एजेंसी, विभाग, वित्तीय संस्थान, बैंक आदि से ऋण, वृद्धि, दान अथवा अनुदान प्राप्त कर सकती है
- संस्था के उपयोग सभी उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 1 से 20 के अनुसारपूर्ण रूप से वैरिटेबिल एवं अव्यवसायिक होंगे तथा पूनियन, ट्रेड पूनियन, राजनैतिक व राष्ट्रीय गतिविधिया संचालित नहीं करेगी।

x- संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते, पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के इस स्मृति पत्र तथा नियमावली के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है।

Sl.No.	Designation	Name of Member	Father/Husband	Address	Occupation	DOB	Mobile No	Aadhar No	Membership Code	AO/PIO
1	अध्यक्ष	Anita Rawat	Shailendra Singh Rawat	Vill and PO, Shivrajpur, Kotdwara	Social Worker	15-SEP-1969	9456130666	346869168416	Life Time	PO (अध्यक्ष) 2023
2	उपाध्यक्ष	Kamla Rawat	Pratap Singh	Vill and PO, Shivrajpur, Kotdwara	Social Worker	20-SEP-1954	9027933654	309364358725	General	कर्मचारी
3	कोषाध्यक्ष	Sunita Rawat	Vikram Singh Rawat	Vill Durgapur PO, Nimbuchaur, Kotdwara	Social Worker	01-OCT-1974	7453817036	579928718828	General	सुनीता देवी
4	सदस्य	Geeta Devi	Ganesh Singh	Behind Cradle Public	Social Worker	15-JUL-1979	8476953675	829981811719	General	गीता देवी

7/7/23, 4 10 PM

about blank

				School, and PO Nimbuchaur, Kotdwara							
5	सदस्य	Arjun Singh	Gaje Singh	Vill and PO Shivrajpur, Kotdwara	Social Worker	25- FEB- 1949	9568395002	442554738491	General		
6	सदस्य	Deepak	Rajendra Singh	Vill Aita, PO Dugadda, Pauri Garhwal	Social Worker	02- JAN- 1973	9456552333	908600554902	General		
7	प्रबंधक	Bhagwati Devi	Govind Singh	Behind Cradle Public School, Vill and PO Nimbuchaur, Kotdwara	Social Worker	24- AUG- 1958	8979859582	788048804919	General	AO	

XI हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

दिनांक-07-Jul-2023

(सभी पदाधिकारियों/सदस्यों के हस्ताक्षर)

- ① सुनीता (मैपाइएडी) ④ अनीता रजत अध्यक्ष
 ② गीतादेवी (सदस्य) ⑤ दीपक शर्मा (सदस्य)
 ③ अमला रजत उपाध्यक्ष ⑥ Arjun Singh (सदस्य)
 ⑦ अन्या

सत्य प्रतिलिपि

उप निम्नलिखित
 फर्म सोसायटी एवं बिड्स
 पीडी महाराज